राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:एफ.8(22)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ जयपुर, दिनांक

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 48/2025–26

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से क्षतिग्रस्त **सड़कों** की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरूत्थान हेतु जिला कलक्टर, **भरतपुर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 17550063 दिनांक 03.09.2025 के आधार पर अधिशाषी अभियंता, सानिवि खण्ड भरतपुर ब्लॉक उच्चैन के 12 कार्य हेतु राशि रूपये 11.58 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि खण्ड भरतपुर ब्लॉक सेवर के 32 कार्य हेतु राशि रूपये 30.24 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि वतृ भरतपुर खण्ड वैर ब्लॉक बयाना के 14 कार्य हेतु राशि रूपये 18.03 लाख, अधिशाषी अभियंता, सानिवि वतृ भरतपुर उपखण्ड व ब्लॉक बयाना के 26 कार्य हेतु राशि रूपये 29.55 लाख एवं अधिशाषी अभियंता, सानिवि खण्ड बयाना ब्लॉक उच्चैन के 09 कार्य हेतु राशि रूपये 4.92 लाख, **कुल 93 कार्यों हेतु राशि रूपयें 94.32 लाख (अक्षरे रूपये चौरानवे लाख बतीस हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

(i) विभाग द्वारा Per km की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः सा.नि.विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़कों के Restoration पर न करें।

(ii) प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।

(iii) जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यो के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।

(iv) बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) वे सड़कें जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।

(vi) जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।

(vii) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

(viii) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

(ix) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

(x) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(xi) इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :–
2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ़, चक्रवात आदि।
106– खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08)– (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना)
[01]– [सडकों की मरम्मत एवं पुनःस्थापना]
21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध
(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत)

(xii) स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पाकालीन निविदाए आमन्त्रित कर कार्य कराऐ जा सकेगे।

(xiii) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

(xiv) निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

(xv) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2026 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

(xvi) कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात करवाये गये कार्यो का कार्य पूर्णताः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित करें।

(xvii) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।

(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर **भरतपुर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

   अधिशाषी अभियंता, सानिवि खण्ड बयाना ब्लॉक उच्चैन के सड़क मरम्मत के प्रस्ताव के क्र.सं. 01 व 02 पर अंकित कार्य नोर्म्स में अनुमत नहीं है। शेष कार्य व राशि को स्वीकृत किया गया है।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
7. मुख्य अभियन्ता, (सड़क) सार्वजनिक निमार्ण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, भरतपुर।

शासन संयुक्त सचिव

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhagwat Singh
Designation : Joint Secretary To Government
Date :11-09-2025 10:59:05

RajKaj Ref No.: 17691414
eSign DSC

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राजस्थान)

–::– प्रशासनिक स्वीकृति –::–

क्रमांक :– 2008 दिनांक :– 12/09/2025

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज स0: 17691414 दिनांक 11.09.2025 के अनुसरण में कार्यालय पत्रांक राजकाज स0 17550063/1934 दिनांक 03.09.2025 से आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये गये सा0नि0वि0 खण्ड बयाना, तहसील बयाना एवं ब्लॉक बयाना के निम्न 20 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245–02–106–08–01–21 से जारी की जाती है:–

क्र.सं.	क्षतिग्रस्त रोड का नाम मय लोकेशन	रोड का वर्गीकरण (VR/NH/SH/MDR/Other)	सामान्य/पट्टी	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को हुई वास्तविक वर्षा (मिलीमीटर)(एक दिवस में 60 एम.एम. अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एम.एम.)	क्षति का मुख्य कारण	क्षतिग्रस्त हुई रोड के संबंध में जानकारी: क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (..कि.मी. से कि.मी...तक) – लोकेशन	लम्बाई	रोड की कुल वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	एसडीआरएफ नॉर्म्स दर अनुसार मरम्मत दर राशि	एसडीआरएफ नॉर्म्स दर अनुसार मरम्मत हेतु स्वीकृति योग्य राशि (लाखों में)	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश जारी किया जा चुका है अथवा हाँ/नहीं	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	Restoration उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम एवं फोन नं. हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	सिधानखेड़ा तरसूमा रोड से सुल्तानपुर कि.मी. 0/0 से 3/700	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 1/600 एवं 2/300 से 3/700	2.90	3.70	0.600	1.74	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648–222759	
2	पुरावाई खेड़ा से नारौली वाया सन्तोकपुरा	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 3/200	3.20	3.70	0.600	1.92	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648–222759	
3	सम्पर्क सड़क सिंघनिया 0/0 से 8/0	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी.0/0 से 5/0 एवं 6/0 8/0	7.00	8.00	0.600	4.20	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648–222759	
4	नारौली बृजनवाद बोरियापुरा रोड कि.मी. 0/0 से 2/500	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/200 से 1/800 से 2/0 से 2/500	2.10	2.50	0.600	1.26	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648–222759	
5	बसेडी सड़क से झिरका कि.मी. 0/0 से 0/600	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/100 से 0/600	0.50	0.60	0.600	0.30	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648–222759	
6	बयाना रूपवास से नगला शीशो कि.मी 0/0 से 1/300	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/200 से 1/300	1.10	1.30	0.600	0.66	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648–222759	

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17746510
eSign 1.0

7	सम्पर्क सड़क बरोदा बाबा बाबरी	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 1/800	1.80	2.00	0.600	1.08	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222761	
8	बरोदी बयाना रोड से बुवार कि.मी. 0/0 से 1/200	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/500 से 1/200	0.70	1.20	0.600	0.42	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222759	
9	महलौनी रोड से बिसखोरी कि.मी. 0/0से 0/900	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/100 से 0/900	0.80	0.90	0.600	0.48	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222759	
10	नगला सेवरा से नगला बहादुरिया कि.मी. 0/0 से 1/200	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/200 से 1/200	1.00	1.20	0.600	0.60	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222759	
11	महलौनी से नगला महलौनी कि.मी. 0/0 से 1/400	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 1/300	1.30	1.40	0.600	0.78	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222759	
12	सम्पर्क सड़क महलौनी	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/500 से 3/0 एवं 3/500 से 5/900	4.90	5.90	0.600	2.94	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
13	सम्पर्क सड़क नारौली कि. मी. 1/0 से 2/0	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 1/300 से 2/00	0.70	1.00	0.600	0.42	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
14	सम्पर्क सड़क शेरगढ कि. मी. 0/0 से 1/000	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/100 से 1/00	0.90	1.00	0.600	0.54	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
15	सम्पर्क सड़क दमदना कि. मी. 0/0 से 1/000	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/300 से 1/00	0.70	1.00	0.600	0.42	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
16	बारेठा से पहाड़पुर	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 4/0 एवं 4/500 से 6/00	5.50	6.00	0.600	3.30	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
17	नारोली से सादपुरा कि.मी. 0/0 से 3/300	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 2/100 एवं 3/0 से 3/300	2.40	3.30	0.600	1.44	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
18	बयाना रुदावल सड़क से खटका कि.मी. 0/0 से 0/600	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,2 6.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 0/500	0.50	0.60	0.600	0.30	हाँ	नही	नही	पी0डब्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	

RajKaj Ref No.:
17746510
eSign 1.0

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu er Ul Zaman Choudhary
Designation : & District Magistrate
Date: 2025.09.12 :29:26 IST
Reason: Approved

19	कपूरा मलूका सडक से कपूरा डहर कि.मी. 0/0 से 1/130	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 1/100	1.10	1.13	0.600	0.66	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
20	सुरतीपुरा से खुलावली कि.मी. 0/0 से 0/600	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 0/450	0.45	0.60	0.600	0.27	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
21	सम्पर्क सडक कारवारी कि.मी. 0/0 से 2/00	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0.300/00 से 1/300	1.00	2.00	0.600	0.60	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
22	सम्पर्क सडक ईमलिया कि.मी. 0/0 से 1/200	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 1/100	1.10	1.20	0.60	0.66	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
23	धानाडांग से खोरी डांग कि.मी. 0/0 से 3/500	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 1/800 एवं 2/00 से 3/400	3.20	3.50	0.60	1.92	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
24	कनावर से नगला चम्पन कि.मी. 0/0 से 0/120	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/200 से 0/120	1.00	1.20	0.60	0.60	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
25	खटनावली सडक से नगला रूपराम कि.मी. 0/0 से 0/100	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 0/900	0.90	1.00	0.60	0.54	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
26	नगला पुरोहित से कनावर खटनावली सडक वाया नगला छत्तरसाल और नगला तिरखा कि.मी. 0/0 से 0/300	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025,26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 1/500 एवं 2/000 से 3/00	2.50	3.00	0.60	1.50	हाँ	नहीं	नहीं	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि0अभि0 05648-222769	
			योग					49.25	58.93		29.55						

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1 अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड बयाना यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सन्धारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।

2 उक्त कार्यों में कोई भी नव-निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए

3 उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबलिटि अवधि में होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

4 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

5 विभाग द्वारा पर किमी 0.60/1.00 लाख रू की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशाषी अभियन्ता उक्त दरों से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत मद न करें।

6 स्वीकृत सभी 26 कार्यों के मरम्मत से पूर्व लोकेशन एवं दिनांक सहित रंगीन फोटोग्राफ व तकमीना की प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

7 प्रस्तावों में उन ही सड़कों की मरम्मत करवाई जावे जो पेचवर्क द्वारा ठीक करवाई जा सकती है।

8 राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राशि तभी स्वीकृत की जाए, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नहीं है।

9 कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र इस विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

RajKaj Ref No.:
17746510
eSign 1.0

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:26 IST
Reason: Approved

10 प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये तथा क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत करे. उक्त प्रमाण पत्र के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

11 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

12 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

13 स्वीकृत सभी कार्य नियमानुसार निविदाऐं आमंत्रित कर करवायें जा सकेंगे।

14 स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बंधि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

क्रमांकः–सहायता/25/ 2009-16

दिनांकः– 12.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी बयाना।
4. अधीक्षण अभियन्ता भरतपुर
5. तहसीलदार बयाना
6. अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बयाना।
7. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:26 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17746510
eSign 1.0

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राजस्थान)

–::– प्रशासनिक स्वीकृति –::–

क्रमांक :– 2041 दिनांक :– 12.09.2025

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/ RAJKAJ ref No- 17691414 दिनांक 11.09.2025 के अनुसरण में कार्यालय पत्रांक राजकाज स0 17560063/1934 दिनांक 03.09.2025 से आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये गये सा0नि0वि0 खण्ड भरतपुर के ब्लॉक सेवर तहसील भरतपुर के निम्न 32 कार्यो की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है. उक्त स्वीकृति बजट मद 2245–02–106–08–01–21 से जारी की जाती है:–

क्र. सं.	क्षतिग्रस्त सड़क का नाम मय लोकेशन	रोड का वर्गीकरण (VR/NH/SH/MDR/Other	सामान्य/प हाडी	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को हुई वास्तविक वर्षा (तिथिवार)(एक दिवस में 90 एम.एम. अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एम.एम.)	क्षति का मुख्य कारण	क्षतिग्रस्त हुई रोड के संबंध में जानकारी: क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (... किमी से किमी...तक) लोकेशन	लम्बाई	रोड की कुल वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	एसडीआरएफ नॉर्म्स दर अनुसार मरम्मत दर राशि	एसडीआरएफ नोर्म्स दर अनुसार मरम्मत हेतु स्वीकृति योग्य राशि (लाखों में)	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश जारी किया जा चुका है अथवा हाँ/नहीं	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	Restoration उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम एवं फोन नं.द्ध चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	वि वि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	पीपला से सूती	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 3/0	3.00	3.00	0.60	1.80	हाँ	नहीं	नहीं	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा0 अभि0 7790911839	
2	ऊंदरा से चार्तीगज	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/800	1.80	1.80	0.60	1.08	हाँ	नहीं	नहीं	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा0 अभि0 7790911839	
3	ठेई से चिकसाना की ओर	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/500	1.50	1.50	0.60	0.90	हाँ	नहीं	नहीं	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा0 अभि0 7790911839	
4	चिकसाना से भगरपुर	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	हाँ	नहीं	नहीं	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा0 अभि0 7790911839	
5	सम्पर्क सड़क जाटौलीपना	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	हाँ	नहीं	नहीं	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा0 अभि0 7790911839	
6	नगला जट्टा से चक ऊंदरा	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/950	0.95	0.95	0.60	0.57	हाँ	नहीं	नहीं	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा0 अभि0 7790911839	
7	भवनपुरा (जघीना) से हथैनी रोड	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/800	1.80	1.80	0.60	1.08	हाँ	नहीं	नहीं	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा0 अभि0 7790911839	
8	बिलौठी रोड से अठेरा	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/600	1.60	1.60	0.60	0.96	हाँ	नहीं	नहीं	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा0 अभि0 7790911839	

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu er Ul Zaman Choudhary
Designation : & District Magistrate
Date: 2025.09.12 :29:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17746606
eSign 1.0

9	मथुरा बाईपास से नगला उप्टैला	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/200	0.20	0.20	0.60	0.12	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा० अभि० 7790911839	
10	पीपला रोड से नौगांव	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/200	0.20	0.20	0.60	0.12	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा० अभि० 7790911839	
11	गामरी से पीपला	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 3/200	3.20	3.20	0.60	1.92	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा० अभि० 7790911839	
12	चिकसाना से माण्डौली	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/600	1.60	1.60	0.60	0.96	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	संजना सिंह होलकर सहा० अभि० 7790911839	
13	सम्पर्क सड़क मलाह रोड से रामनगर	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/200	1.20	1.20	0.60	0.72	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	
14	सम्पर्क सड़क चकरामनगर	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/800	0.80	0.80	0.60	0.48	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	
15	सम्पर्क सड़क पार	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/800	0.80	0.80	0.60	0.48	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	
16	सेवर रलवे फाटक से बगधारी	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 2/200	2.20	2.20	0.60	1.32	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	
17	सम्पर्क सड़क सेवर रेलवे स्टेशन	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/500	1.50	1.50	0.60	0.90	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	
18	तुचावई हबीबपुर रोड से धाधौली	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 2/400	2.40	2.40	0.60	1.44	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	
19	सेवर मालीपुरा गाढ़ौनी रोड	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/500	1.50	1.50	0.60	0.90	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	
20	गाढ़ौनी से सेवर हेलक रोड	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/950	1.95	1.95	0.60	1.17	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	
21	सम्पर्क सड़क सिनपिनी	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	
22	सम्पर्क सड़क जयपुर रोड से धानौता	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 2/0	2.00	2.00	0.60	1.20	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि.	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074683	

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu er Ul Zaman
Choudhary
Designation : & District
Magistrate
Date: 2025.09.12 :29:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17746606
eSign 1.0

23	सम्पर्क सडक महुआ से धौर	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 2/500	2.50	2.50	0.60	1.50	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
24	सेवर से धमनपुरा ओल्ड एनएच–11 पोरशन	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/700	1.70	1.70	0.60	1.02	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
25	धानौता से सौनेरा चितौकरी मोड	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 2/500	2.50	2.50	0.60	1.50	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
26	माढौनी रोड से नगला कंध	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/700	0.70	0.70	0.60	0.42	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
27	सेवर चितौकरी रोड से ककलपुरा	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/200	1.20	1.20	0.60	0.72	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
28	कूम्हा से श्यौराना	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 2/200	2.20	2.20	0.60	1.32	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
29	एन.एच–11 से सुनारी वाया तेहरासीया	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	1/0 से 4/500	3.50	4.50	0.60	2.10	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
30	मुरवारा से माढौनी	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 2/0	2.00	2.00	0.60	1.20	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
31	रैलवे क्रॉसिंग से अड्डा	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/300	0.30	0.30	0.60	0.18	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
32	सम्पर्क सडक नगला धौर	डीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/600	0.60	0.60	0.60	0.36	हाँ	नही	नही	सानिवि	योगेश खण्डेलवाल सहा0 अभि0 8963074883
	Total							**50.40**	**51.40**		**30.24**					

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1 अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड, भरतपुर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सन्धारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।

2 उक्त कार्यों में कोई भी नव–निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए

3 उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबलिटि अवधि में होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता देय नही है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

4 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

5 विभाग द्वारा पर किमी 0.60/1.00 लाख रु की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशाषी अभियन्ता उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत पर न करें।

6 स्वीकृत सभी 32 कार्यो के मरम्मत से पूर्व लोकेशन एवं दिनांक सहित रंगीन फोटोग्राफ व तकमीना की प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

7 प्रस्तावो मे उन ही सडको की मरम्मत करवाई जावे जो पैचवर्क द्वारा ठीक करवाई जा सकती है।

8 राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु राशि तभी स्वीकृत की जाए, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नही है।

9 कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस मे पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। कार्य पुर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कार्यो का पूर्णता प्रमाण–प्रत्र इस विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17746606
eSign 1.0

10 प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवायें तथा क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत करें, उक्त प्रमाण पत्र के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
11 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
12 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
13 स्वीकृत सभी कार्य नियमानुसार निविदाऐं आमंत्रित कर करवाये जा सकेंगे।
14 स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बंधि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रकिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

क्रमांक–सहायता/25/ 2042–49 दिनांक– 12.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन ,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 वित्तीय सलाहकार आपदा प्रबन्धन ,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।
4 अधीक्षण अभियन्ता भरतपुर।
5 तहसीलदार भरतपुर।
6 अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि० खण्ड भरतपुर।
7 सहायक अभियन्ता सा०नि०वि० उपखण्ड सेवर/नदबई
8 आदेश पत्रावली

जिला कलक्टर,
भरतपुर

RajKaj Ref No.:
17746606
eSign 1.0

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:24 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राजस्थान)

–::– प्रशासनिक स्वीकृति –::–

क्रमांक :– 2026

दिनांक :– 12.09.2025

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज स0. 17691414 दिनांक 11.09.2025 के अनुसरण में कार्यालय पत्रांक राजकाज स0 17550063/1934 दिनांक 03.09.2025 से आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये गये सा0नि0वि0 खण्ड बयाना, तहसील एवं ब्लॉक उच्चैन के निम्न 09 कार्यों की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245–02–106–08–01–21 से जारी की जाती है:–

क.सं.	क्षतिग्रस्त रोड का नाम मय लोकेशन	रोड का वर्गीकरण (VR/NH/SH/MDR/Other)	सामान्य/पहाड़ी	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को हुई वास्तविक वर्षा (मिलिमिटर)(एक दिवस में 60 एम.एम. अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एम.एम.)	क्षति का मुख्य कारण	क्षतिग्रस्त हुई रोड के संबंध में जानकारी: क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (..किमी से किमी...तक) – लोकेशन	लम्बाई	रोड की कुल वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	एसडीआरएफ नॉर्म्स दर अनुसार मरम्मत दर राशि	एसडीआरएफ नॉर्म्स दर अनुसार मरम्मत हेतु स्वीकृति योग्य राशि (लाखों में)	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश जारी किया जा चुका है अथवा हाँ/नहीं	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	Restoration उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम एवं फोन नं.हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	वि वि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	संपर्क सडक मोट कि.मी. 0/0 से 0/400	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025	108 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 0/350	0.35	0.40	0.600	0.21	है	नही	नही	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि–अभि0 05648–222759	
2	संपर्क सडक पना कि.मी. 0/0 से 0/500	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025	108 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 0/450	0.45	0.50	0.600	0.27	है	नही	नही	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि–अभि0 05648–222759	
3	संपर्क सडक हाडोली कि.मी. 0/0 से 0/800	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025	108 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 0/700	0.70	0.80	0.600	0.42	है	नही	नही	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि–अभि0 05648–222759	
4	बडरारेखपुरा से रेलवे कॉसिंग पिंगोरा कि.मी. 0/0 से 0/430	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025	108 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 0/400	0.40	0.43	0.600	0.24	है	नही	नही	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि–अभि0 05648–222759	
5	उच्चैन रोड से नगला सीतर कि.मी. 0/0 से 0/900	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025	108 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/100 से 0/900	0.80	0.90	1.000	0.48	है	नही	नही	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि–अभि0 05648–222759	
6	उच्चैन से गिलगिलिया पट्टी कि.मी. 0/0 से 1/500	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025	108 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/150 से 1/500	1.35	1.50	0.600	0.81	है	नही	नही	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि–अभि0 05648–222759	
7	सम्पर्क सडक वंशी वागरी कि.मी. 0/0 से 0/800	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025	108 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/150 से 0/800	0.65	0.80	0.600	0.39	है	नही	नही	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि–अभि0 05648–222759	
8	सम्पर्क सडक नगला तेहरा माफी कि.मी. 0/0 से 1/00	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025	108 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/200 से 1/00	0.80	1.00	0.600	0.48	है	नही	नही	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि–अभि0 05648–222759	
9	बारहमाफी से खरेरा कि.मी. 0/0 से 3/00	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025	108 mm	अतिवृष्टि	कि.मी. 0/0 से 2/700	2.70	3.00	0.600	1.62	है	नही	नही	पी0डब्ल्यू0 डी खण्ड बयाना	अधि–अभि0 05648–222759	
	योग :–							8.20	9.33		4.92						

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Qu... er Ul Zaman Choudhary
Designation : ... & District Magistrate
Date: 2025.09.12 ...:29:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17746680
eSign 1.0

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1 अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड बयाना यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।

2 उक्त कार्यों में कोई भी नव–निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए।

3 उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबलिटि अवधि में होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

4 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णत: जिम्मेदारी होगी।

5 विभाग द्वारा पर किमी 0.60/1.00 लाख रु की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अत: अधिशाषी अभियन्ता उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत पर न करे।

6 स्वीकृत सभी 09 कार्यो के मरम्मत से पूर्व लोकेशन एवं दिनांक सहित रंगीन फोटोग्राफ व तकमीना की प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

7 प्रस्तावो में उन ही सड़को की मरम्मत करवाई जावे जो पेचवर्क द्वारा ठीक करवाई जा सकती है।

8 राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु राशि तभी स्वीकृत की जाए, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नही है।

9 कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनाक से 30 दिवस मे पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। कार्य पुर्न करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कार्यों का पूर्णता प्रमाण–प्रत्र इस विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

10 प्रस्तावो में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिचाई विभाग के अधिकारियो से प्रमाणित करवाये तथा क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत करे, उक्त प्रमाण पत्र के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

11 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

12 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशो एवं परिपत्रो की पालना की जावे।

13 स्वीकृत सभी कार्य नियमानुसार निविदाऐं आमंत्रित कर करवाये जा सकेंगे।

14 स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बधि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

क्रमांक–सहायता/25/ 2037-33 दिनांक– 12.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 वित्तीय सलाहकार आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 उपखण्ड अधिकारी बयाना।
4 अधीक्षण अभियन्ता भरतपुर
5 तहसीलदार बयाना।
6 अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 बयाना।
7 सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 उच्चैन।
8 आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

RajKaj Ref No.:
17746680
eSign 1.0

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:19 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राजस्थान)

–::– प्रशासनिक स्वीकृति –::–

क्रमांक :– 2034 | दिनांक :– 12.09.2025

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/RAJKAJ ref No- 17691414 दिनांक 11.09.2025 के अनुसरण में कार्यालय पत्रांक राजकाज सं0 17550083/1934 दिनांक 03.09.2025 से आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये गये सा0नि0वि0 खण्ड भरतपुर के ब्लॉक उच्चैन के निम्न 12 कार्यो की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245–02–106–09–01–21 से जारी की जाती है:–

क्र. सं.	क्षतिग्रस्त सड़क का नाम मय लोकेशन	रोड का वर्गीकरण (VR/NH/SH/MDR/Other	सामान्य/प हाड़ी	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को हुई वास्तविक वर्षा (तिथिवार)(एक दिवस में 60 एम.एम. अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एम.एम.)	क्षति का मुख्य कारण	क्षतिग्रस्त हुई रोड के संबंध में जानकारी: क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (_ किमी से किमी_तक) लोकेशन	लम्बाई	रोड की कुल वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	एसडीआरएफ नॉर्म्स दर अनुसार मरम्मत दर राशि	एसडीआरएफ नोर्म्स दर अनुसार मरम्मत हेतु स्वीकृति योग्य राशि (लाखो में)	प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश जारी किया जा चुका है अथवा हाँ/नहीं	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	Restoration उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम एवं फोन नं.तु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	वि वि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	भरतपुर रूपवास रोड कि.मी. 15 से चकदारापुर नं. 2	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/900	1.90	1.90	0.60	1.14	हॉं	नहीं	नहीं	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा. अभि. 8963074883	
2	ऊधागाव से कपरौला	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	हॉं	नहीं	नहीं	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा. अभि. 8963074883	
3	नगला तेहरालोधा से नगला कल्याण	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/100	1.10	1.10	0.60	0.66	हॉं	नहीं	नहीं	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा. अभि. 8963074883	
4	ऊधागाव से सुखावती रोड	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 6/0	6.00	8.00	0.60	3.60	हॉं	नहीं	नहीं	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा. अभि. 8963074883	
5	सम्पर्क सड़क दयोपुरा	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	हॉं	नहीं	नहीं	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा. अभि. 8963074883	
6	सम्पर्क सड़क खोखर	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/850	0.85	0.85	0.60	0.51	हॉं	नहीं	नहीं	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा. अभि. 8963074883	
7	सुखावती एक्टा से चक एक्टा	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	हॉं	नहीं	नहीं	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा. अभि. 8963074883	
8	एन.एच.-11 से सनहूली	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/800	1.80	1.80	0.60	1.08	हॉं	नहीं	नहीं	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा. अभि. 8963074883	

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qur[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17746650
eSign 1.0

9	सम्पर्क सडक सेवर उच्चैन रोड से बजी	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/500	1.50	1.50	0.60	0.90	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074883	
10	सम्पर्क सड़क दारापुरकलां	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/750	0.75	0.75	0.60	0.45	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074883	
11	महटोली से बिरावई	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 1/500	1.50	1.50	0.60	0.90	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074883	
12	नगला दूल्हेराम से नगला सीखम	वीआर	सामान्य	01.07.2025/ 02.07.2025	(86+25) = 111 एमएम	अत्यधिक वर्षा	0/0 से 0/900	0.90	0.90	0.60	0.54	हाँ	नही	नही	सा.नि.वि	योगेश खण्डेलवाल सहा० अभि० 8963074883	
Total								19.30	21.30		11.58						

उक्त सभी प्रस्तावों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1 अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्ड, भरतपुर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सम्धारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।
2 उक्त कार्यों में कोई भी नव–निर्माण कार्य शामिल नही होना चाहिए
3 उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबलिटि अवधि में होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता देय नही है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
4 कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
5 विभाग द्वारा पर किमी 0.60/1.00 लाख रु की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशाषी अभियन्ता उक्त दरों से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत पर न करें।
6 स्वीकृत सभी 12 कार्यों के मरम्मत से पूर्व लोकेशन एवं दिनांक सहित रंगीन फोटोग्राफ व तकनीना की प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7 प्रस्तावों में उन ही सड़कों की मरम्मत करवाई जावे जो पेचवर्क द्वारा ठीक करवाई जा सकती है।
8 राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राशि तभी स्वीकृत की जाए, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नही है।
9 कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। कार्य पुर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कार्यों का पूर्णतः प्रमाण–पत्र इस विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
10 प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवायें तथा क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया
11 प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
12 आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।
13 स्वीकृत सभी कार्य नियमानुसार निविदाऐं आमंत्रित कर करवायें जा सकेंगे।
14 स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बधि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

क्रमांकः–सहायता/25/ 2035-40 दिनांकः– 12.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन ,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 वित्तीय सलाहकार आपदा प्रबन्धन ,सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।
4 अधीक्षण अभियन्ता भरतपुर।
5 तहसीलदार भरतपुर।
6 अधिशाषी अभियन्ता सा०नि०वि० खण्ड भरतपुर।
7 आदेश पत्रावली

जिला कलक्टर,
भरतपुर

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17746650
eSign 1.0

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राजस्थान)

–::– प्रशासनिक स्वीकृति –::–

क्रमांक :– 2017 दिनांक :– 12.09.2025

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8(24) आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज स0. 17691414 दिनांक 11.09.2025 के अनुसरण में कार्यालय पत्रांक राजकाज स0 17550063/1934 दिनांक 03.09.2025 से आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किये गये सा0नि0वि0 वृत भरतपुर खण्ड वैर ब्लॉक बयाना के निम्न 14 कार्यो की तात्कालिक मरम्मत हेतु नीचे अंकित शर्तो के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उक्त स्वीकृति बजट मद 2245–02–106–08–01–21 से जारी की जाती है:–

क.सं.	क्षतिग्रस्त रोड का नाम मय लोकेशन	रोड का वर्गीकरण (VR/NH/SH/MDR/Other	सामान्य/पहाडी	क्षति की दिनांक	क्षति की दिनांक को हुई वास्तविक वर्षा (तिथिवार)(एक दिवस में 80 एम.एम. अथवा लगातार दो दिवसों में 100 एम.एम.)	क्षति का मुख्य कारण	क्षतिग्रस्त हुई रोड के संबंध में जानकारी					प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित है/नहीं	डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में है अथवा नहीं	कार्य का कार्यादेश जारी किया जा चुका है अथवा हाँ/नहीं	Restoration हेतु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	Restoration उत्तरदायी अधिकारी का पदनाम एवं फोन नं.तु चिन्हित कार्यकारी एजेन्सी	वि0 वि0
							क्षतिग्रस्त हिस्से की लोकेशन (..किमी से किमी...तक) लोकेशन	लम्बाई	रोड की कुल वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	एसडीआरएफ नॉर्म्स दर अनुसार मरम्मत दर राशि	एसडीआरएफ नोर्म्स दर अनुसार मरम्मत हेतु स्वीकृति योग्य राशि (लाखो में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	सम्पर्क सडक खरैरी किमी. 0/0 से 1/0	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2025	80 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
2	बयाना तालचिडी सडक से जसपुरा नौरोली किमी. 0/0 से 3/0	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2026	81 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 3/0	3.00	3.00	0.60	1.80	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
3	सम्पर्क सडक गुर्दानदी किमी. 0/0 से 1/500	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2027	82 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/500	1.20	1.50	0.60	0.72	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
4	कनावर से त्योहारी किमी. 0/0 से 1/900	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2028	83 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/900	1.90	1.90	0.60	1.14	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
5	सम्पर्क सडक अजानेडा किमी. 0/0 से 1/0	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2029	84 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
6	सम्पर्क सडक शेखपुर किमी. 0/0 से 2/0	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2030	85 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 2/0	2.00	2.00	0.60	1.20	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
7	सम्पर्क सडक मूडिया किमी. 0/0 से 2/0	ग्रामीण सडक	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2031	86 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 2/0	2.00	2.00	0.60	1.20	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	

Validity unknownSignature valid

RajKaj Ref No.:
17746708
eSign 1.0

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:17 IST
Reason: Approved

8	महरावर से भौरोली किमी. 0/0 से 9/0	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2032	87 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 9/0	9.00	9.00	0.60	5.40	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
9	सम्पर्क सड़क होता किमी. 0/0 से 2/300	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2033	88 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 2/300	2.30	2.80	0.60	1.38	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
10	बयाना तालचिड़ी सड़क से बागरैन किमी. 0/0 से 0/750	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2034	89 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 0/750	0.75	0.75	0.60	0.45	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
11	मूंडिया से खेड़ली गड़ासिया किमी. 0/0 से 3/0	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2035	90 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 3/0	3.00	3.00	0.60	1.80	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
12	शेखपुर से डुम्डुपुरा किमी. 0/0 से 1/100	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2036	91 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/100	1.10	1.10	0.60	0.66	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
13	फरसो से नगला नवारिया किमी. 0/0 से 0/800	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2037	92 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 0/800	0.80	0.80	0.60	0.48	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
14	बयाना तालचिड़ी से मैडेवाली किमी. 0/0 से 1/0	ग्रामीण सड़क	सामान्य	01.07.2025, 02.07.2025, 26.07.2038	93 mm 37 mm 98 mm	अतिवृष्टि	किमी. 0/0 से 1/0	1.00	1.00	0.60	0.60	है	नही	नही	सा0नि0वि0 खण्ड वैर	अधि0–अभि0 7014843781	
				योग :–				30.05			18.03						

उक्त सभी प्रस्तावो की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड वैर यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद/अन्य मद में से मरम्मत एवं सन्धारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिए जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जावेगा।
2. उक्त कार्यो में कोई भी नव–निर्माण कार्य शामिल नहीं होना चाहिए
3. उक्त कार्य डिफेक्ट लाईबलिटि अवधि में होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार सहायता देय नहीं है। इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
4. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
5. विभाग द्वारा पर किमी 0.60/1.00 लाख रू की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार किया है अतः अधिशाषी अभियन्ता उक्त दरो से अधिक राशि का उपयोग मरम्मत पर न करे।
6. स्वीकृत सभी 14 कार्यो के मरम्मत से पूर्व लोकेशन एवं दिनांक सहित रंगीन फोटोग्राफ व तकमीना की प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
7. प्रस्तावो मे उन ही सड़को की मरम्मत करवाई जावे जो पैचवर्क द्वारा ठीक करवाई जा सकती है।
8. राष्ट्रीय राजमार्गो हेतु राशि तभी स्वीकृत की जाए, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से उनकी मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध नही है।
9. कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे। कार्य पुर्ण करवाये जाने के पश्चात् करवाये गये कार्यो का पूर्णता प्रमाण–प्रत्र इस विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
10. प्रस्तावो मे दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिचाई विभाग के अधिकारियो से प्रमाणित करवाये तथा क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत करे, उक्त प्रमाण पत्र के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
11. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
12. आपदा प्रबंधन विभाग जयपुर द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रो की पालना की जावे।
13. स्वीकृत सभी कार्य नियमानुसार निविदाऐं आमंत्रित कर करवाये जा सकेंगे।
14. स्वीकृत कार्यो के सम्बन्ध में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, तत्सम्बधि नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17746708
eSign 1.0

क्रमांक:-सहायता/25/ 2018-25 दिनांक:- 12.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी बयाना।
4. अधीक्षण अभियन्ता भरतपुर।
5. तहसीलदार बयाना।
6. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड वैर/भरतपुर।
7. सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 खण्ड वैर।
8. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

RajKaj Ref No.:
17746708
eSign 1.0

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Qu[illegible]er Ul Zaman Choudhary
Designation : [illegible] & District Magistrate
Date: 2025.09.12 [illegible]:29:17 IST
Reason: Approved